न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

| म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **वाद पत्र संख्या 142/2020 GCMS NO. 2020/00494**<br>**उनवानी सुदेवकुमार आदि बनाम विनोद कुमार आदि**<br>**अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955** | |
| 4 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादीगण को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादीगण हाजिर आये। अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि वादीगण को प्रतिवादीगण की तामील करवाये जाने हेतु बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादीगण ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादीगण को प्रतिवादीगण की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादीगण का हस्तगत वाद पत्र तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(बन्शी धर योगी)<br>उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी<br>जिला नीमकाथाना (राज0)<br>उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dha
Date: 2024.12.09 17:09:53 IST
Reason: SelfAttested